भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं का समग्र विकास

1356. श्री रामचरण बोहरा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कोई नई योजना शुरू शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन नई योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का इस दिशा में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को संबद्ध करने, बढ़ावा देने और सहयोग प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ङ): सरकार देश भर में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र गति और संधारणीय राष्ट्रीय विकास में समान रूप से भागीदार बन सकें।

विगत कुछ वर्षों में, महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अनेक पहलें की गई हैं। भारत सरकार महिलाओं/बालिकाओं के कल्याण हेतु विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है जिनमें सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 9.98 करोड़ महिलाएं लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने के साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण सहित सरकारी सहयोग का भी लाभ उठा रही हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में स्कीम (मनरेगा) के तहत सृजित कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने का अधिदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) स्कीम में घरों के महिला स्वामित्व पर जोर दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि विधुर/अविवाहित/विवाहित व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामलों को छोड़कर, घर का आवंटन महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित कार्यकलाप चलाने वाली सहकारी समितियों में शामिल हैं। अन्य स्कीमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि शामिल हैं। महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन शुरू किया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक स्कीम है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लागू की है, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करके उचित व्यवहार, देखभाल और संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के माध्यम से लगभग 3.29 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 11.60 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे 10.14 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के तहत 19.26 करोड़ में से 14.21 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पीने के पानी के कनेक्शन से जोड़े जाने से कठिन परिश्रम और देखभाल के बोझ को कम करके महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा) के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार से एक व्यक्ति को शामिल करते हुए 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाना है।

संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तथापि, आज पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं। सरकार ईडब्ल्यूआर को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

लोक सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना जारी किया जाना महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' कार्यान्वित करता है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-स्कीमें हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'सामर्थ्य' उप-स्कीम के तहत, एक नया घटक यानी महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है। एचईडब्ल्यू के तहत सहयोग में देश भर में महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तक पहुंच सहित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध स्थापन में मार्गदर्शन, लिंक और सहायता प्रदान की जाती है। एचईडब्ल्यू स्थापित करने के लिए जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास" के संबंध में दिनांक 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1356 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एचईडब्ल्यू स्थापित करने के लिए जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (रुपये)	
		2022-23	2023-24 (31.01.2024 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	2,12,49,000	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,07,17,000	
3.	असम	4,22,82,000	10,71,63,000
4.	बिहार	3,05,01,000	
5.	छत्तीसगढ	2,66,46,000	
6.	दिल्ली	96,84,000	
7.	गोवा	0	30,37,500
8.	गुजरात	2,66,46,000	3,52,62,000
9.	हरियाणा	1,81,65,000	
10.	हिमाचल प्रदेश	1,56,82,500	2,00,47,500
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0	2,49,34,500
12.	झारखंड	12,03,000	1,85,04,000
13.	कर्नाटक	0	2,51,04,000
14.	केरल	1,19,97,000	1,53,09,000
15.	मणिपुर	2,03,08,500	
16.	मेघालय	1,56,82,500	2,88,56,250
17.	मिजोरम	1,45,26,000	1,39,32,000
18.	नागालैंड	0	4,51,08,000
19.	पुदुच्चेरी	12,03,000	30,84,000
20.	पंजाब	1,89,36,000	
21.	राजस्थान	2,66,46,000	
22.	सिक्किम	0	87,43,500
23.	तमिलनाडु	3,05,01,000	
24.	तेलंगाना	2,66,46,000	
25.	त्रिपुरा	1,10,56,500	
26.	उत्तर प्रदेश	5,90,28,000	
27.	उत्तराखंड	1,68,39,000	
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	58,60,000	58,60,000
29.	चंडीगढ़	32,90,000	
30.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	58,60,000	
31.	लद्दाख	45,75,000	45,75,000
32.	लक्षद्वीप	32,90,000	

*****